न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/210

1. रामपाल पुत्र श्री कानाराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा (हरवंशपुरा) तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त जोन–11 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. रामशरण पुत्र बेरीसाल, जाति मीना निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हीरालाल सैनी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90ए(9)के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 1.17 हैक्टयर अपीलार्थी की खातेदारी एवं काबिज काश्त की भूमि है, राजस्व भू अभिलेखों में उक्त भूमि अपीलार्थी रामपाल पुत्र कानाराम जाति रैगर कृषक के रूप दर्ज था, अपीलार्थी उक्त आराजीयात पर निरन्तर कृषि कार्य कर उसका उपयोग उपभोग कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता चला आ रहा है। उन्होने आगे कथन किया है अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में कभी किसी व्यक्ति संस्था या सोसायटी अथवा निजी व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की कोई कार्यवाही नही की तथा ना ही किसी किसी कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त आराजी को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु कोई कार्यवाही की गई या आवेदन इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्ष 2009 के अप्रेल माह में अपीलार्थी को घरेलू कार्यवश रूपयों की आवश्यकता होने पर अपीलार्थी ने अपने पडौसी भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामशरण पुत्र बेरीसाल जाति मीना से कुछ रूपये उधार मांने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामशरण द्वारा अपीलार्थी को बताया गया कि तुम तुम्हारी भूमि पर बैंक से के.सी.सी. कार्ड

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

किसान कार्ड बनावा लो, जिस पर तुम्हे बैंक लोन दे देगा जिसे तुम किश्तों में चुकता कर देना इस प्रकार अपीलार्थी गरीब अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण उपरोक्त कार्य उन्ही की देख–रेख में करवाने हेतु कहा जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामशरण द्वारा कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षकर करवा लिये गये और फोटो व आधार कार्ड की कॉपी ले ली गई और अपीलार्थी को कहा गया कि आपका किसान कार्ड हेतु आवेदन कर दिया गया है, दो चार माह में लोन पास हो जायेगा।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा किसान क्रेडित कार्ड हेतु बार–बार पुछने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बहाने बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 आश्वासन देता रहा और जून 2021 में अपीलार्थी को अपनी भूमि की जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर अपीलार्थी पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आपकी उपरोक्त भूमि तो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हो गई जिस पर अपीलार्थी को फिक्र हुआ और आवश्यक मालूमात करने पर ज्ञान हुआ कि जयपुर विकास प्राधिकरण के किसी आदेश से उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम लग गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने जानने वाले रिश्तेदार कन्हैयालाल के द्वारा उपरोक्त भूमि के कागजात निकलवाने हेतु कहा गया जिस पर कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 22.06.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 01.07.2021 को नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा कागजात देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रेस्पाडेन्ट रामशरण द्वारा अपीलार्थी से हस्ताक्षर कागजात वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड कराये जाने का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से उन कागजात को तोड़ मरोड़ कर कुछ जगह स्वयं द्वारा हुबहु हस्ताक्षर कर अपीलार्थी की भूमि को खुर्द–बुर्द करने हेतु कुछ लोगों से मिलीभगत कर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया जिससे अपीलार्थी के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होने के कारण अपीलार्थी के लिये यह आवश्यक हुआ कि उपरोक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उस अपीलाधीन आदेश को निरस्त करावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थी निरन्तर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करके अपने परिवार कापालन पोषण करता चला आ रहा है, अपीलार्थ से फर्जकारी कर अपीलार्थी के हस्ताक्षरशुदा कागजात पर अपीलाधीन आदेश करा लिया जाने पर भी वास्तविक कब्जा तो पूर्ववत अपीलार्थी के पास ही यथावत है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक कब्जे की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो अपीलाधीन आदेश पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2019 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व भू अभिलेखों में अपीलार्थी का नाम पूर्व की भांति अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी स्वयं के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क की कार्यवाही हेतु आवेदन किया गया है जिसके संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अब अपीलार्थी स्वयं ही अपनी आराजी के 90क सम्बन्धी आदेश दिनांक 21.05.2019 को निरस्त कराना चाह रहे है इस संदर्भ में जो भी न्यायोचित हो आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही क गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी का मूल रूप से कथन रहा है उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी की धारा 90क की कार्यवाही हेतु आवेदन नही किया गया है तथा अब अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपनी आराजी की उक्त 90क की कार्यवाही के सम्बन्ध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2019 को निरस्त करवाना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2019 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(विकास एस.भाल)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।